कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून/चमोली।
पत्रांक: न–20/असुव्य (08)/20–21 दिनांक: जून 29, 2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
जे0 पी0 विद्या मंदिर (Jaypee Vidya Mandir)
Vishnupuram (Marwari), PO-Joshimath
जनपद चमोली।

सन्दर्भ:– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 59683476 दिनांक 22.06.2020 के सम्बन्ध में।

आपके **विद्यालय** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **जोशीमठ** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **26–06–2020** में आपके **विद्यालय** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **जोशीमठ** की निरीक्षण आख्या दिनांक **26–06–2020** के आधार पर आपके **विद्यालय** हेतु दिनांक 29–06–2020 से 28–06–2021 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र (Annual Clearance Certificate) प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

29/6/20
(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/चमोली।